

(172)

(48)

मेरी जिला विधान
सभा के दसवारा
आह

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल उपालियर सर्किट कोटि रीवा [म०प्र०] ४३०।—



R 5348-II/16

A 30/-

रामसुमिरन पटेल तनय श्री रामनाथ पटेल निवासी ग्राम नवागांव कोठार

कक्रहा टोला [तहसील मनगवाँ जिला रीवा [म०प्र०] ----- निगरानीकर्ता

अधिकता श्री अमोद
सिंह ठाकुर

बनाम

29.7.16

१. राजनारायण पटेल तनय श्री रामनाथ पटेल

राजनारायण पटेल तनय श्री रामनाथ पटेल
कक्रहा टोला [तहसील मनगवाँ जिला रीवा [म०प्र०] ----- गैरनिगरानीकर्ता
(सर्किट कोटि) रीवा इनो निवासी ग्राम नवागांव कोठार [कक्रहा टोला] तहसील मनगवाँ
जिला रीवा [म०प्र०]

----- गैरनिगरानीकर्ता गण

निगरानी विलुप्त श्रीमान् तहसीलशार महोदय तहसील
मनगवाँ जिला रीवा [म०प्र०] राजस्व प्रकरण क्रमांक
04/स-5/15-16 दिनांक 27-5-2016.

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू
राजस्व संहिता सन् १९५७ ई०।

मान्यवर,

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखि है :-

१. यह कि अधीन स्थ न्यायालय द्वारा पारित नक्शा तरमीम आदेश
दिनांक 27-5-2016 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये
जाने योग्य है।
२. यह कि मौजा नवागांव कोठार तहसील मनगवाँ जिला रीवा की
रामठुचिन वट्ठा

(43)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... ८.५३.४६ - II.1.6 जिला..... रीवा

..... राजस्व मण्डल पटेल विरुद्ध राजस्वारापणा प्रवाल

1
15-1-19

2

3

1. आवेदक की ओर से श्री..... अमरेन्द्र मिश्र .. अधिवक्ता
द्वारा यह नम्बर तहसीलदार तहसील..... प्रदगावा के
प्रकरण क्रमांक..... ०५/३८५/२०१५-२०१६ में पारित आदेश
दिनांक..... २७.०८.१६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-
राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप
अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए)
के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... रीवा के न्यायालय
को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक..... २४.३.१९ को
कलेक्टर..... रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।

संक्षय